सरपंच व ई-मित्र संचालक रिश्वत लेते गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के जहाजपुर इलाके में हनुमान नगर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत इटुंदा सरपंच और ई-मित्र संचालक को भीलवाड़ा एसीबी की प्रथम यूनिट ने 24 हजार की रिश्वत लेते ट्रेप किया है।

■ ठेकेदार गोविंद से बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी

एसीबी सूत्रों के अनुसार इटुंदा सरपंच अनुसिंह मीणा ठेकेदार गोविंद से बिल पास करने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। ई-मित्र संचालक परमेश्वर मीणा के सहयोग से यह रिश्वत राशि प्राप्त की जा रही थी। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद ट्रेप की योजना बनाई और सरपंच अनु सिंह को दलाल ई-मित्र संचालक परमेश्वर के साथ 24 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फिलहाल एसीबी की टीम मामले की गहनता से जांच कर रही है।

मन की शुद्धि से किया गया तप, जप नरक के बंध काट सकता है-उपप्रवर्तिनी डॉ. राजमती

अजमेर, (कासं)। मणिपुंज सेवा संस्थान में महाश्रमणी गुरुमाता महासती पुष्पवती माताजी आदि ठाणा-7 की पावन प्रेरणा से नवकार महामंत्र जाप के पाट की स्थापना की गई। श्रावक श्राविकाओं ने इस मंगलमय अवसर पर सामूहिक जाप किया। इसके साथ ही सदगुरुवर्या की भावना का सम्मान करते हुए बुधवार को 12 घंटे तक शांति जाप हुआ। शांति जिनेश्वर शान्ति करो, सुख सम्पत्ति आनन्द करो की स्वर लहरियों को गुंजायमान करते हुए सभी प्राणियों के लिए मंगल कामना की गई।

■ धर्मसभा में उपस्थित श्रावक श्राविकाएं

धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी सदगुरुवर्या डॉ. राजमती मसा ने फरमाया दुर्गति की ओर बढ़ती आत्मा को जो रोकता है, वह धर्म है। पतन की ओर जाते हुए जीव को स्थिर करने का सामर्थ्य धर्म में है। किसी भी जीव ने आत्मिक उत्थान किया है तो इसी धर्म के बल पर किया है। धर्माराधना भावपूर्वक होनी चाहिए, मन से करनी चाहिए। मन से की गई एक नवकारसी सैकड़ों वर्षों के पापों की निर्जरा करा सकती है। मन की शुद्धि से किया गया तप जप नरक के बंध काट सकता है।

प्रभु वर्धमान को भावपूर्वक किया गया नमन भी संसार-सागर से तिरा सकता है। साध्वी डॉ. राजरश्मि मसा ने इसी धर्म सभा में देव विषयों में आसक्त हैं, नारक विविध दुखों से संतप्त हैं, तिर्यंच विवेक रहित है, धर्म साधना के लिए मात्र एक मनुष्य गति बची है। मानव भव पाकर जिनवाणी के अनुरूप मन से धर्माराधना करें। साध्वी डॉ. राजऋद्धि मसा ने बताया कि जैन संस्कृति त्याग प्रधान हैं। स्वेच्छा से भौतिक सुखों का त्याग करने वाले का जीवन वन्दनीय पूजनीय बन जाता है। साध्वी राजकीर्ति मसा ने बताया कि संसार में आवागमन की भटकन पर अटकन लगाने के लिए कर्म निर्जरा करने का पराक्रम करना होता है। अंतराय कर्म तोडने के लिए तन, मन से भावपूर्वक तप करना होगा और सत्वेषु मैत्री का भाव जागृत करना होगा।

अधिशासी अभियंताओं की बैठक आज

अजमेर, (कासं)। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा गुरुवार दोपहर 3 बजे पंचशील स्थित मुख्यालय में अधिशासी अभियंता की बैठक आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक करेंगे। मुख्य एजेंडा बिंदुओं में फीडर लॉसेज की समीक्षा, सिस्टम सुदृढ़ीकरण, 5 हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों शहरों की विद्युत सेवाओं की स्थिति, विद्युत कनेक्शन जारी करने में लगने वाले समय की समीक्षा और राजस्व वसूली शामिल हैं। इस बैठक में सभी अधिशासी अभियंता, जोनल चीफ इंजीनियर्स, टेक्निकल डायरेक्टर, आईटी व एकाउंट्स विंग के वरिष्ठ अधिकारी, रेवेन्यू अधिकारी एवं बीसीआईटीएस प्रतिनिधि भाग लेंगे।

80 लाख के जेवर व नगदी चोरी का खुलासा

ब्यावर, (निसं)। सूने मकान में हुई चोरी का खुलासा कर पुलिस ने दो जनों को गिरफ्तार किया है। शाहपुरा मोहल्ला निवासी बलवंत रांका ने अपने घर हुई चोरी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में करीब 17 किलो चांदी, 600 ग्राम सोना व 2.5 लाख नकदी की चोरी होने का हवाला दिया गया था जो करीब 80 लाख की कीमत का आंका गया था। गौरतलब है कि बलवंत रांका के ऑफिस में ही कार्य करने वाले व्यक्ति को सफाई करने हेतु चाबी दी थी। उस व्यक्ति ने साजिश रची और चोरी की घटना को अंजाम दिया और चोरी का माल अपने दोस्त को सौंपा। रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए एसपी श्याम सिंह व डिप्टी राजेश कसाना के निर्देशन में थानाधिकारी विजय सिंह के नेतृत्व में बनी टीम में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मेघाराम चौधरी की अहम भूमिका रही।

राजस्थान स्काउट गाइड का बिगनर्स कोर्स सम्पन्न

ब्यावर (निसं) राजस्थान स्काउट गाइड का बिगनर्स कोर्स बुधवार को रा.उ.प्रा.विद्यालय कृष्णा कालोनी में सम्पन्न हुआ। शिविर के मुख्य अतिथि जिला संगठन आयुक्त स्काउट नरेन्द्र खोरवाल और जिला संगठन आयुक्त गाइड अनिता तिवाड़ी , अध्यक्ष सहा स्टेट कमिश्नर विमल चौहान एवं विशिष्ट अतिथि प्रभारी जिला कमिश्नर जवाजा ताराचंद जांगिड़ और लीडर ट्रेनर विनोद मेहरा थे ।

■ 86 स्काउटर गाइडर हुए प्रशिक्षित

स्थानीय संघ के सचिव मोहन सिंह चौहान ने बताया कि एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 86 स्काउटर गाइड ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसमें स्थानीय संघ ब्यावर के 12 मसूदा के 58 तथा जवाजा के 16 प्रशिक्षानार्थी शामिल रहे।इस अवसर पर जिला संगठन आयुक्त नरेन्द्र खोरखाल ने स्काउट प्रार्थना, गणवेश,विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों, पुरस्कारों के बारे मे विस्तार से जानकारी दी।

जिला संगठन आयुक्त गाइड अनिता तिवाड़ी ने फार्म 58 के बारे में बताते हुए इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार बताया।प्रधानाचार्य ताराचन्द जागिड ने कहा कि स्काउट गाइड़ बच्चों में संस्कार डालने की अहम भूमिका निभाता है।अध्यक्षता करते हुए सहा स्टेट कमिश्नर विमल चौहान ने बताया कि ब्यावर के चार निजी विदाई में स्काउट गाइड गतिविधि शुरू की गई है। उन्होंने सभी से अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ने तथा अपने अपने विद्यालयों मे स्काउट गाइड़ प्रारंभ करने की अपील की।लीडर ट्रेनर विनोद मेहरा ने सामान्य जानकारी देते हुए यह बताया कि स्काउट क्यों जरूरी है इसके साथ ही उन्होंने अपने अनुभव साझा किये इस अवसर पर पचमढ़ी से हाल ही में एडवास कमीश कोर्स करने वाले ताराचन्द जांगिड़ का साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया।इससे पूर्व स्थानीय संघ के सचिव चौहान ने सभी अतिथियो का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया।

स्नातक प्रथम वर्ष प्रवेश के लिए दस्तावेज सत्यापन प्रारंभ,

भीलवाड़ा। सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में लगभग 1700 सीटों पर प्रवेश के लिए प्रथम वरीयता सूची प्रकाशित कर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर सावन कुमार जांगिड़ ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय में आयुक्तालय के प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश के लिए मूल दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 11 जुलाई 2025 तक रहेगी। छात्राएं महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें तथा दिए गए समय में ही दस्तावेज सत्यापन करवा ईमित्र पर फीस जमा करा महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करें।

अवैध शराब की दुकानों पर कलेक्टर से कार्रवाई की मांग

भीलवाड़ा। जिले के दरीबा और कोटड़ी गांवों के निवासियों ने कथित तौर पर अवैध रूप से संचालित शराब की दुकानों के खिलाफ जिला कलेक्टर को एक शिकायत सौंपी है।

ग्रामीणों का आरोप है कि ललित सुवालका नामक व्यक्ति, जिसे आबकारी विभाग द्वारा केवल एक दुकान के लिए लाइसेंस जारी किया गया है, वह जिन्दल रोड दरीबा, ग्राम दरीबा, माताजी का खेड़ा, कोटड़ी, कोटड़ी चौराहे और किरतपुरा रोड सहित कई स्थानों पर अवैध रूप से शराब की दुकानें चला रहा है। शिकायत पत्र में ग्रामीणों ने कहा है कि इन अवैध दुकानों पर शराबियों के बीच आए दिन लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं, जिससे चोरी और महिलाओं के साथ अप्रिय घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान जन संपर्क पोर्टल पर कई शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद, आबकारी विभाग के पहुंचने से पहले ही सुवालका को सूचना मिल जाती है और वह दुकानें बंद कर देता है, जिससे कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। ग्रामीणों ने कलेक्टर से इन अवैध दुकानों को तत्काल बंद करने और ललित सुवालका के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है, क्योंकि ये दुकानें रात 11-12 बजे तक संचालित होती हैं।

जिले के विभिन्न थानों में जब्त पड़े अवैध मादक पदार्थ को नष्ट कराया

ब्यावर, (निसं)। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न थानों में जब्त पड़ा अवैध मादक पदार्थ डोडा-पोस्त, स्मैक, एमडीएमए, गांजा व अफीम के पौधो का नष्टीकरण किया गया। 38 प्रकरणों में जब्तशुदा 46 क्विंटल डोडा-पोस्त, 2383 अफीम के पौधे, 26 ग्राम स्मैक, एमडीएमए 125 ग्राम व 27 किलोग्राम गांजा को जलाकर नष्ट किया गया।

■ एमडीएमए 125 ग्राम व 27 किलोग्राम गांजा को जलाकर नष्ट किया गया

जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिला ब्यावर के थानों पर अवैध मादक पदार्थ तस्करी से संबंधित दर्ज प्रकरणों में बरामद अवैध मादक पदार्थों के नष्टीकरण हेतु न्यायालय से आदेश प्राप्त कर अवैध डोडा-पोस्त, स्मैक, एमडीएमए, गांजा व अफीम के पौधों को ब्यावर शहर के बाहर निश्चित स्थान पर जलाकर नष्ट किया गया।

जिला ब्यावर के थानों पर एन.डी.पी. एस. के प्रकरणों में जब्त अवैध मादक पदार्थों के नष्टीकरण करने हेतु पुलिस मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुऐ थे। जिस पर नियमानुसार जिन प्रकरणों में न्यायालय से धारा 52 ए एन.डी.पी.एस. एक्ट की प्रक्रिया पूर्ण होने पर कुल 38 प्रकरणों में जब्तशुदा अवैध डोडा-पोस्त, स्मैक, एमडीएमए, गांजा व अफीम के पौधे नष्ट करने हेतु नष्टीकरण समिति का गठन किया जाकर नौ जुलाई का दिन नियत किया गया था। निर्देशानुसार जिले के समस्त थानाधिकारियों प्रकरणों में जब्त मादक पदार्थों को श्रीसीमेंट फैक्ट्री, ब्यावर लेकर पहुंचे। जहां गठित समिति के अध्यक्ष जिला पुलिस अधीक्षक ब्यावर तथा सदस्य अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक ब्यावर व जयराम पुलिस निरीक्षक अपराध सहायक मय थानाधिकारी की उपस्थिति में नष्टीकरण के तहत थानों पर जब्त अवैध मादक पदार्थों का नियमानुसार नष्टीकरण किया गया। नष्टीकरण की प्रक्रिया में 46 क्विंटल डोडा पोस्त व 2383 अफीम के पौधे, 26 ग्राम स्मैक, 125 ग्राम एमडीएमए व 27 किलोग्राम गांजा को नियमानुसार जलाया जाकर संपूर्ण कार्यवाही की विडीयोग्राफी व फोटोग्राफी करवाई गई।

वैध बजरी लीजधारकों ने सुरक्षा व सुचारू कार्य संचालित कराने की मांग की

नागौर, (निसं)। नागौर के रियांबड़ी में ग्रामीणों और बजरी खनन करने वालों के बीच हुई झड़प के बाद बुधवार को बजरी खनन के लीजधारकों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर आक्रोश व्यक्त किया लीजधारकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर खनन के लिए सरकार से अनुमति होने के बावजूद आमजन के विरोध को देखते हुए सुरक्षा की भी मांग की है। लीजधारक नमन चौधरी व सुशील जाजड़ा ने कहा कि राज्य सरकार की स्वीकृत वैध बजरी लीज पर कार्य करने के बावजूद लगातार राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

■ बजरी खनन के लीजधारकों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर आक्रोश जताया

दोनों लीजधारकों के नेतृत्व में सैकड़ों बजरी व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में लिखा है कि सरकार से स्वीकृत लीज पूरी तरह वैध हैं। ये सभी जरूरी दस्तावेज, शुल्क और शर्तों के साथ स्वीकृत हुई हैं, लेकिन गत सात जुलाई को ग्रामीणों ने वाहनों पर हमला किया, जेसीबी मशीन को जलाया, धर्मकांटे को आग लगाने की कोशिश की, कर्मचारियों से मारपीट व धमकियां दीं। इन घटनाओं की वजह से वैध खनन कार्य को सुनियोजित तरीके से बाधित किया जा रहा है। लीजधारक नमन चौधरी और सुशील जाजड़ा ने कहा कि कुछ स्थानीय राजनीतिक नेता इस पूरे मामले को जानबूझकर भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर सरकारी ऑक्शन में रिलीज हुई माइन में खनन कार्य को अवैध साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अवैध खनन को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ज्ञापन देकर गत 7 जुलाई को हुई हिंसक घटना के मुख्य दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने, लीजधारकों व उनके स्टाफ को प्रशासनिक सुरक्षा और संरक्षण देने, सरकार से स्वीकृत खनन को बाधा मुक्त और सुरक्षित वातावरण में संचालित करने हेतु प्रशासनिक सहयोग करने, राजनीतिक हस्तक्षेप व प्रशासनिक पक्षपात की उच्च स्तरीय जांच करवाने और प्रशासन की ओर से आमजन को सरकारी स्वीकृति प्राप्त लीगल लीज के बारे स्पष्ट जानकारी देने की मांग की है।

मीरा महोत्सव के रवि कमेडिया बने सचिव वही बिड़ला बने कोषाध्यक्ष

मेड़ता सिटी, विश्व ऐतिहासिक मीरा जयंती महोत्सव को लेकर अध्यक्ष जितेन्द्र गहलोत ने अपनी कार्यकारिणी का गठन किया । अध्यक्ष गहलोत ने बताया कि मीरा महोत्सव मेड़ता ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक महोत्सव हे । इस महोत्सव में बाहर से भी काफी मेहमान इस महोत्सव का आनंद लेने आते हे । इस महोत्सव में आने वाले सभी भक्त मीरा नगरी मेड़ता के मेहमान हे उनकी सेवा करना हम नागरवासियों का धर्म हे इसके चलते महोत्सव को उच्चाइयों तक पहुंचाने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया साथ ही महोत्सव के सभी मीरा नगरी के नागरिक भी हिस्सा है।

जिला कलेक्टर के यहां धरना प्रदर्शन किया गया

भीलवाडा। अखिल भारतीय संयुक्त श्रमिक संघर्ष समिति के राष्ट्रीय स्तर के आ ान पर इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू एवं किसान सभा के साथियों ने श्रम विरोधी नीतियों को लेकर मुखर्जी उद्यान से रैली निकाल कर राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया जिसमें ईटंक यूनियन के जिला अध्यक्ष दीपक व्यास, महामंत्री कान सिंह, भेरू सिंह, सत्यनारायण सेन, नंदलाल गाडरी, गोपाल गुर्जर, शंकर लाल खोईवाल, मेवाराम, मोहम्मद हुसैन कुरैशी, गोपाल तेली, एटक यूनियन के कामरेड ओम प्रकाश शर्मा, शंकर लाल भील, रोडवेज यूनियन के साथी कामरेड जमील अहमद, मनोहर लाल शर्मा, भगवान सिंह, राजेंद्र सेन, पन्नालाल चौधरी, शराफत अली राजेन्द्र विश्नोई, सीटू यूनियन के प्रांतीय प्रतिनिधि ओमप्रकाश देवानी, मंजू आचार्य, पूजा विश्नोई, गीता नट, टेक्सटाइल यूनियन के जिला अध्यक्ष सोनू शर्मा, रामनिवास शर्मा, करण सिंह, वसीम मोहम्मद, नरेश मराठा, मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव यूनियन के रामेश्वर लाल जाट, कपिल शर्मा, रामचन्द्र, जितेन्द्र शर्मा, रतनलाल, सद्दाम हुसैन, किसान सभा के कैलाश गहलोत आदि प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

■ श्रम विरोधी नीतियों को लेकर अखिल भारतीय संयुक्त श्रमिक संघर्ष समिति द्वारा

श्रमिक संगठनों ने जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री को मांग-पत्र देकर श्रमिक विरोधी कानूनी संशोधन वापस लो, न्यूनतम मासिक मजदूरी 21000 रूपये करने, बैंक बीमा, बीएसएनएल, रेल्वे, बिजली व राज्य परिवहन निगम (रोड़वेज) का निजीकरण की नीतियां बन्द करने, निजी कारोबार में 100 प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश बन्द करने, महंगाई पर रोक लगाने, बैंकों का विलीनीकरण और रेलवे का निजीकरण बंद करने एवं 109 लाईनों पर निजी कोरपोरेटर के सानिध्य में रेल चलाने की अनुमति देने को बंद करने, कोयला खदानों का निजीकरण बन्द करने तथा निलामी रोकने तथा कोरपोरेट घरानों को एन.पी.ए. देना बंद कर उनसे वसूली सुनिश्चित करने, सम्मान कार्य के लिये सम्मान वेतन देने व ठेकाकरण बंद करने, महंगाई को कम करने तथा डीजल-पेट्रोल के दाम घटाने, केन्द्र सरकार द्वारा मौजूदा दौर में संघर्षरत किसान हितो के संबंधी में एमएसपी गारन्टी कानून बनाने व स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग की। मुख्यमंत्री को दिये मांग-पत्र में श्रम विभाग में रिक्त पदों को तुरन्त भरने, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में श्रमिकों के वर्षों से लम्बित पड़े शुभ शक्ति योजना, छात्रवृति आवेदन व आवास योजना के आवेदनों को जो वर्षो से लम्बित से पड़े है।

उनका समाधान करने, स्पीनफेड की बंद पड़ी गंगापुर-गुलाबपुरा मिलों को चालू करो व रोड़वेज कर्मचारियों को 7वें वेतन का लाभ 2016 से देने, कमठाणा श्रमिकों को ओ.टी.पी. की समस्या से निजात दिलाने की भी मांग की। असंगठित क्षेत्र के कृषि मजदूर, घरेलू कामगार, गिग वर्कर, रिक्शा चालक, फेरीवाले आदि को सामाजिक सुरक्षा और रू. 9,000 प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन देने की माँग की। साथ ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने तथा एनपीएस और यूपीएस को समाप्त करने की मांग भी दोहराई गई।

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कविता देवी पत्नी ओम वीर सिंह निवासी बनगोठड़ी खुर्द, झुंझुनू राजस्व ग्राम किरानीपुरा के खसरा संख्या 24 एवं 25 वर्किंग व नया 18, प्लाट नंबर 153, क्षेत्रफल 315.95 वर्गगज के भूखंड की पत्रावली नियमन हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमन के संबंध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर 7 दिवस की आपति आमंत्रित की जाती है।अतः किसी भी हितबद्धकारी को इस नियमन के संबंध में आपति हो तो आम सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपति प्रस्तुत करें अन्यथा नियमन कार्यवाही कर दी जावेगी।- उपायुक्त उत्तर, अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

पर्यावरण स्वीकृति सूचना

एमएल संख्या 26/2022 वास्ते खनिज ग्रेनाईट क्षेत्रफल 1.2758 हेक्ट्रर खसरा संख्या 1046/959/1048 राजस्व ग्राम नया गांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर उत्पादन क्षमता 1,12584 TPA(ROM) 56,292 टन पट्टेधारी श्रीमती शालिनी सेठी पर्यावरण स्वीकृति क्रमांक एफ-1(4) SEAC-Raj/Sectt/Project/cat B2 (21276)/2022-23 जयपुर दिनांक 02/01/2023 SEIAA जयपुर द्वारा जारी की गई है। -खनन पट्टे धारी, शालिनी सेठी

आम सूचना

मैं मेरे पक्षकार श्री अजयपाल काला पुत्र स्व. श्री धन्नालाल काला निवासी कालों का मौहल्ला, बड़ी बस्ती पुष्कर की ओर से सर्व साधारण को सूचित करता हूं कि मेरे पक्षकार के सबसे छोटे पुत्र श्री दीनदयाल काला एवं श्रीमती प्रियंका जो की मेरे कहने में नहीं है व मेरे पक्षकार व उसके परिवार को नाजायज परेशान करते हैं कि मेरे पक्षकार, दीनदयाल काला एवं उसकी पत्नी के पक्ष में अपनी सम्पति नाम कर देवें अथवा सम्पति को बेचकर मोटी रकम उन्हें दे देवे ऐसे ही अनेक कारण है जिनकी वजह से मेरे पक्षकार बहुत आहत है, जिस कारण दीनदयाल काला को पूरे परिवार सहित चल-अचल सम्पति व आज से पूर्व व पश्चात सम्पूर्ण देनदारी व लेनदारी से बेदखल किया जाता है,आज के बाद इनसे मेरे पक्षकार का कोई लेना-देना नहीं है।- रोहन पाराशर, अधिवक्ता

---

2 राज नेवल यूनिट एनसीसी,अजमेर

लेखा/02/एनसीसी | निविदा सूचना | दिनांक-03.07.2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय के अनुपयोगी घोषित सामान जिसकी बुक वैल्यू लगभग 146583.00 रूपये है, की नीलामी खुली बोली द्वारा कार्यालय परिसर अजमेर में दिनांक 23 जुलाई 2025 को 11.00 बजे रखी गयी है। इच्छुक खरीददार नीलामी योग्य अनुपयोगी सामान का निरीक्षण एवं नीलामी नियम और शर्ते किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में देख सकते हैं। - कमान अधिकारी 2 राज नेवल यूनिट एन.सी.सी., अजमेर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांकः न.पा.वि./निर्माण स्वी./2025/1602 | आम सूचना | दिनांकः 03/07/2025

सर्वसाधारण को प्रकाशनार्थ सूचित किया जाता है कि निम्नांकित मकान निर्माण हेतु निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है।अगर किसी को आपत्ति/उज्र हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपति प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद मियाद गुजरने पर कोई उज्र/आपति मान्य नहीं होगी।

भवन निर्माण

फाईल नं.	आवेदक नाम	भूखंड का विवरण	भूखंड का नाप	प्रयोजनार्थ
55	अशोक कुमार नाबेड़ा पुत्र रूपसिंह नाबेड़ा	आबादी क्षेत्र मजदूर कॉलोनी बिजयनगर भू.सं. 12 का उत्तरी-पश्चिमी हिस्सा	31.35 SQ.MTR	आवासीय
56	अशोक कुमार नाबेड़ा पुत्र रूपसिंह नाबेड़ा	आबादी क्षेत्र मजदूर कॉलोनी बिजयनगर भू.सं. 12 का उत्तरी-पूर्वी हिस्सा	31.35 SQ.MTR	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मसूदा

कार्यालय नगरपालिका मसूदा जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांकः न.पा.मसूदा/निर्माण स्वी./2025/448 | आम सूचना | दिनांकः 07/07/2025

सर्वसाधारण को प्रकाशनार्थ सूचित किया जाता है कि निम्नांकित मकान निर्माण हेतु निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है।अगर किसी को आपत्ति/उज्र हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपति प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद मियाद गुजरने पर कोई उज्र/आपति मान्य नहीं होगी।

भवन निर्माण

फाईल नं.	आवेदक नाम	भूखंड का विवरण	भूखंड का नाप	प्रयोजनार्थ
06	सिद्धार्थ चौधरी पुत्र गणपतलाल चौधरी	आबादी क्षेत्र मसूदा ख.सं. 3111	108.62 SQ.MTR	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मसूदा

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ जिला (अजमेर) राज

क्रमांकः न.प.कि./नाम हस्तांतरण/2025/1738 | आम सूचना | दिनांकः 09/07/2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा संख्या 542/3 पर स्थित 'किर्तीनगर आवासीय कॉलोनी के पास' के आवासीय (मूल भूखण्ड क्षेत्रफल 2357.25 वर्गगज में से उपविभाजित भूखण्ड क्षेत्रफल 1178.625 वर्गगज) पर 1.श्री रामावतार शर्मा पुत्र स्व.श्री छीतर मल शर्मा 2.श्री हर्षित दाधीच पुत्र श्री वेद प्रकाश दाधीच ने आवेदन प्रस्तुत कर नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। उक्त भूखंड की सीमाएं निम्नानुसार है-

पूर्व : खसरा संख्या 542/3 की आवासीय रूपान्तरित भूमि वर्तमान में श्री रामावतार शर्मा एवं श्री हर्षित दाधीच की
पश्चिमः खसरा सं. 542/4 की आवासीय रूपान्तरित भूमि श्री विजय शंकर सोनी एवं श्रीमती उमा सोनी की
उत्तर : रास्ता 80 फीट चौड़ा दक्षिण : अन्य भूमि

अतः उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति / संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपति हो तो लिखित में सूचना प्रकाशन के 07 दिवस में प्रस्तुत करे बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति/ऐतराज मान्य नही होगा। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रभारी नगर परिषद किशनगढ

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ जिला (अजमेर) राज

क्रमांकः न.प.कि./नाम हस्तांतरण/2025/1730 | आम सूचना | दिनांकः 08/07/2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम सांवतसर के खसरा संख्या 129/1/3 पर स्थित औद्योगिक रूपान्तरित(भूखंड क्षेत्रफल 4104.32 वर्गगज) पर मैसर्स संतोष स्टोनर्स जरिये साझेदार श्री अभिषेक छाबड़ा पुत्र श्री रमेश चंद छाबड़ा, श्रीमती अंकित छाबड़ा पत्नि श्री अभिषेक छाबड़ा, श्रीमती रचना छाबड़ा पत्नि श्री राहुल छाबड़ा एवं श्री रोहित जैन पुत्र श्री पदमचंद जैन ने आवेदन प्रस्तुत कर नाम हस्तान्तरण चाहा गया है।

उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है-
पूर्व में - अन्य भूमि पश्चिम में - 100 फीट चौड़ा ग्राम टोकड़ा जाने वाला रास्ता
उत्तर में- खसरा संख्या 129/1/2 की औद्योगिक भूमि दक्षिण में- खसरा संख्या 129 की कृषि भूमि

अतः उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति / संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपति हो तो लिखित में सूचना प्रकाशन के 07 दिवस में प्रस्तुत करे बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति/ऐतराज मान्य नही होगा। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रभारी नगर परिषद किशनगढ

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ जिला (अजमेर) राज

क्रमांकः न.प.कि./नाम हस्तांतरण/2025/1740 | आम सूचना | दिनांकः 09/07/2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा संख्या 542/4 पर स्थित 'किर्तीनगर आवासीय कॉलोनी के पास' के आवासीय (भूखण्ड क्षेत्रफल 2357.25 वर्गगज) पर 1.श्री रामावतार शर्मा पुत्र स्व.श्री छीतर मल शर्मा 2.श्री हर्षित दाधीच पुत्र श्री वेद प्रकाश दाधीच ने आवेदन प्रस्तुत कर नाम हस्तान्तरण चाहा गया है।

उक्त भूखंड की सीमाएं निम्नानुसार है-
पूर्व : खसरा संख्या 542/3 में से विखंडित आवासीय रूपान्तरित भूमि श्रीमती उमा सोनी की।
पश्चिमः आवासीय रूपान्तरित भूमि खसरा सं. 542/5 पर सुन्दरम बिल्डहोम प्रा.लि. की विकसित आवासीय बहुमंजिला योजना सुन्दरम
उत्तर : रास्ता 80 फीट चौड़ा दक्षिण : अन्य भूमि

अतः उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति / संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपति हो तो लिखित में सूचना प्रकाशन के 07 दिवस में प्रस्तुत करे बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति/ऐतराज मान्य नही होगा। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रभारी नगर परिषद किशनगढ

कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा (राजस्थान)
भीलवाडा रोड रोडवेज बस स्टैण्ड के पास
E-Mail ID-combebp@yahoo.in npbgulabpura@gmail.com Telephone No. 01483-223079

क्रमांक/न०पा०गु०/2025/607-08 | उजरदारी-नोटिस | दिनांकः 04/07/25

श्रीमती कान्ता देवी प्रजापत पत्नि श्री किशन लाल प्रजापत,निवासी उखलियां, तहसील-हुरड़ा, भीलवाड़ा(राज०), द्वारा पालिका क्षेत्र में स्थित गुरू पन्ना नगर द्वितीय में भूखण्ड संख्या 17 बनाप 25X40 फीट होकर 1000 वर्गफीट, क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज पर पालिका कार्यालय में भूखण्ड हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।अतः इस सूचना पत्र के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रसारित की जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त भूखण्ड हस्तान्तरण के संबंध में कोई आपत्ति हो तो लिखित रूप में मय दस्तावेजी प्रमाणों को संलग्न करते हुये एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत कर दें। उक्त अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। पत्रावली एवं दस्तावेजों का निरीक्षण कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के समय देखा जा सकता है। पड़ोस विवरण-

पूर्व- भूखण्ड संख्या 18 स्थित। पश्चिम-आम रास्ता 30 फीट स्थित।
उत्तर- आम रास्ता 30 फिट स्थित। दक्षिण- भूखण्ड संख्या 16 स्थित।

- अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका गुलाबपुरा

कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा (राज0)
प्ररूप-10- 6नियम 6 (7) देखिए 8

सं.-603-06 | प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा | दिनांकः 04/07/25

लोक सूचना

आवेदक श्रीमती निरमा देवी पत्नि श्री महेन्द्रपाल जाट निवासी गुलाबपुरा, तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्-

जिले सहित	तहसील का नाम	ग्राम का नाम खसरा सं.	क्षेत्र
राजस्व ग्राम गुलाबपुरा-प्रथम	हुरडा	राजस्व ग्राम गुलाबपुरा-प्रथम के खसरा संख्या-700	कुल क्षेत्रफल 1082.88 वर्गमीटर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक को जारी की गयी। -प्राधिकारी अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी) नगरपालिका गुलाबपुरा

कार्यालय-प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी
ईमेल आई.डी. principalgovtcollegemertacity@gmail.com, GC.MERTACITY@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक-राममे/स्था/2025/228 | निविदा सूचना संख्या 01/2025 | दिनांक-09.07.2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी में रूसा के तहत विभिन्न प्रकार की सामग्री/उपकरण आपूर्ति हेतु इच्छुक निविदा दाताओं से अपनी दरें प्रस्तुत करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का पूर्ण विवरण SPP Portal पर एवं महाविद्यालय कार्यालय में देखी जा सकती है।

महाविद्यालय के NIB CODE - ECD2526A0120
UBN No. ECD2526GSOB00120

(डॉ. बलवीर सेन) प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी

कार्यालय जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ब्यावर
E-mail I'd - dlo.sje.beaw@rajasthan.gov.in साकेत नगर थाने के पीछे, अम्बेडकर छात्रावास, ब्यावर Phone no-01462299053

क्रमांक-सान्याअवि/2025-26/1369 | दिनांक-08.07.2025

जिला ब्यावर में ऐसे व्यक्ति / परिवार जो अवैध शराब का निर्माण, भण्डारण, विक्रय में लिप्त है (योजना हेतु पात्र जातिया जैसे कंजर, सांसी, भाट, भाण्ड, नट, राणा, डोम, ढोली, नोगीया (मोग्या), बावरिया, बेडिया, बागरिया, सिरकीवाला, चौबदार आदि जातिया जो की अवैध शराब के निर्माण, भण्डारण तथा विक्रय में लिप्त है) का नवजीवन योजना अन्तर्गत जिला कमेटी के निर्णयानुसार सर्वे किया जाना है। उक्त सर्वे कार्य हेतु क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित एवं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ पंजीयन इच्छुक स्वयं सेवी संस्थाओं/ ट्रस्टों के साथ अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) जारी कर दिनांक 16.07.2025 तक प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक स्वयं सेवी संस्था / ट्रस्ट अपना आवेदन पत्र इस जिला कार्यालय को प्रेषित कर सकेंगे।

-(विशाल सिंह सोलंकी) जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिला ब्यावर।

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक : 636 | जाहिर आम सूचना | दिनांक 9.7.25

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 2/2, नाका मदार, अजमेर क्षेत्रफल 41.15 वर्ग मीटर मूल आवंटी डेरिन विक्टर पुत्री श्री विक्टर को आवंटित कर दिनांक 13.09.1994 को आवास का भौतिक कब्जा सौपा गया था। डेरिन विक्टर पुत्री श्री विक्टर द्वारा दिनांक 31.12.2009 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त आवास का पंजीयन करवा लिया गया। पंजीयन पश्चात् श्रीमती डेरिन विक्टर पुत्री श्री विक्टर द्वारा मुख्त्यारनामा आम श्री इब्राहीम मौहम्मद पुत्र श्री गफूर मौहम्मद के पक्ष में दिनांक 07.01.2010 को निष्पादित किया गया। श्री इब्राहीम मौहम्मद पुत्र श्री गफूर मौहम्मद ने आवास का वैचान श्री संजय सिंह तोमर पुत्र श्री हरि सिंह तोमर को दिनांक 26.11.2010 को कर दिया गया। जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 1718 में पृष्ठ संख्या 76 क्रम संख्या 2010005481 पर पंजीबद्ध किया गया। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 3865 के पृष्ठ संख्या 234 से 243 पर दिनांक 26.11.2010 को चस्पा किया गया है। अब श्री संजय सिंह तोमर पुत्र श्री हरि सिंह तोमर ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तानान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्री संजय सिंह तोमर पुत्र श्री हरि सिंह तोमर का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाराजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 2/2, नाका मदार, अजमेर क्षेत्रफल 41.15 वर्ग मीटर मूल आवंटी डेरिन विक्टर पुत्री श्री विक्टर को आवंटित कर दिनांक 13.09.1994 को आवास का भौतिक कब्जा सौपा गया था। डेरिन विक्टर पुत्री श्री विक्टर द्वारा दिनांक 31.12.12009 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त आवास का पंजीयन करवा लिया गया। पंजीयन पश्चात् श्रीमती डेरिन विक्टर पुत्री श्री विक्टर द्वारा मुख्त्यारनामा आम श्री इब्राहीम मौहम्मद पुत्र श्री गफूर मौहम्मद के पक्ष में दिनांक 07.01.2010 को निष्पादित किया गया। श्री इब्राहीम मौहम्मद पुत्र श्री गफूर मौहम्मद ने आवास का वैचान श्री संजय सिंह तोमर पुत्र श्री हरि सिंह तोमर को दिनांक 26.11.2010 को कर दिया गया। जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 1718 में पृष्ठ संख्या 76 क्रम संख्या 2010005481 पर पंजीबद्ध किया गया। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 3865 के पृष्ठ संख्या 234 से 243 पर दिनांक 26.11.2010 को चस्पा किया गया है। अब श्री संजय सिंह तोमर पुत्र श्री हरि सिंह तोमर ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तानान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्री संजय सिंह तोमर पुत्र श्री हरि सिंह तोमर का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

-सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-अजमेर

कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा (राजस्थान)
भीलवाडा रोड रोडवेज बस स्टैण्ड के पास
E-mail Id- combebp@yahoo.in npbgulabpura@gmail.com Telephone No. 01483-223079

क्रमांक न.पा.गु/कृषि-भूमि/2025/2023-25/622 | दिनांक:09.07.2020

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नामान्तरण एवं निर्माण स्वीकृति नियमन के तहत् प्राप्त किए जाने के लिए निम्नानुसार आवेदन प्राप्त हुए है जिसके निस्तारण किए जाने में किसी आम खास / संस्था आदि को किसी प्रकार की कोई आपति हो तो अन्दर मियाद 07 दिवस में लिखित रूप से आपतिकर्ता मय अपने दस्तावेजो के इस कार्यालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपनी आपति दर्ज करवा सकते हैं। बाद मियाद आवेदक (अन्तिम क्रेता) के पक्ष में नियमन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उजरदारी-नोटिस

क्र. सं.	नाम आवेदक	आराजी नं	भूखण्ड संख्या	साईज	क्षेत्रफल	कॉलोनी व भूखण्ड के पडौस
1	श्रीमती रेखा कंवर पत्नि श्री किरणसिंह, गुलाबपुरा	125/1	A-24	40×50	222.22	पूर्व- भूखण्ड संख्या 28 स्थित। पश्चिम भूखण्ड संख्या 20 स्थित। उत्तर- आम रास्ता स्थित दक्षिण- दीगर की आराजी स्थित।
2.	श्रीमती रेखा कंवर पत्नि श्री किरणसिंह, गुलाबपुरा	125/1	A-28	20×50	111.11	पूर्व-भूखण्ड संख्या 32 स्थित। पश्चिम- भूखण्ड संख्या 28 स्थित। उत्तर- आम रास्ता स्थित। दक्षिण- अन्य आराजी स्थित।
3.	श्रीमती रेखा कंवर पत्नि श्री किरणसिंह, गुलाबपुरा	125/1	B-83	20×50	138.88	पूर्व-आम रास्ता 20 फिट स्थित। पश्चिम भूखण्ड संख्या 82 स्थित । उत्तर- आम रास्ता 20 फिट स्थित। दक्षिण- आम रास्ता 20 फिट स्थित।

अतः इस सूचना पत्र के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रसारित की जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त भवन निर्माण स्वीकृति/ भूखण्ड हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कोई आपति हो तो लिखित रूप में मय दस्तावेजी प्रमाणों को संलग्न करते हुये एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत कर दें। उक्त अवधि के पश्चात कोई आपति मान्य नहीं होगी। पत्रावली एवं दस्तावेजों का निरीक्षण कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस के समय देखा जा सकता है।

-अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका गुलाबपुरा

कार्यालय ग्राम पंचायत नरवर पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण(अजमेर)

क्रमांकः ग्रा.प.नरवर/निर्माण/निविदा/2025-26/29 | दिनांकः 09/07/2025

ई-निविदा सूचना-02/2025-26

ग्राम पंचायत नरवर में ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत नरवर में सार्वजनिक शमशान पर ब्लॉक रोड निर्माण कार्य। (राशि रूपये 10.00) लाख हेतु ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया के तहत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निविदा दिनांक 9.07.2025 से 15.07.2025 तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी http://sppp.rajasthan.gov.in & http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

NIB NO- ZAJ2526A0826
UBN NO- ZAJ2526WSOB000901

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नरवर, पं.स.अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर
प्रशासक, ग्राम पंचायत नरवर, पं.स.अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर